न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 52/2023 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये मनीष कुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा

बनाम

1. अरविन्द काबरा पुत्र नारायण लाल काबरा मैसर्स तिरूपति एण्ड कम्पनी हाउस नं. 3/224, सुखाडिया सर्किल, भीलवाडा
2. महेन्द्र कुमार तोदी पुत्र सुरेश कुमार तोदी मैसर्स तिरूपति एण्ड कम्पनी हाउस नं. 3/224, सुखाडिया सर्किल, भीलवाडा
3. मैसर्स तिरूपति एण्ड कम्पनी हाउस नं. 3/224, सुखाडिया सर्किल, भीलवाडा
4. मैसर्स धर्मपाल सत्यपाल लिमि. प्लॉट नं. बी – 1 एण्ड बी 27ए यूनिट 2 सैक्टर.3 नोयडा– 201301, उत्तरप्रदेश (09)

– प्रार्थी

–विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार

2 श्री रामगोपाल चंडक अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

आदेश

दिनांक 29.11.2024

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरूद्व एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी अरविन्द काबरा पुत्र नारायण लाल काबरा मैसर्स तिरूपति एण्ड कम्पनी हाउस नं. 3/224, सुखाडिया सर्किल, भीलवाडा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को पान मसाला (रजनीगन्धा) का विक्रय कर रहा था। अरविन्द काबरा पुत्र नारायण लाल काबरा मैसर्स तिरूपति एण्ड कम्पनी हाउस नं. 3/224, सुखाडिया सर्किल, भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विक्रेता फर्म पर पान मसाला (रजनीगन्धा) पैकेट विक्रय हेतु रखा पाया गया। मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5-A की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, फर्म के संविधान संबंधित पत्र, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.01.2023 को समय 3.30 पी.एम. पर बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग हेतु अरविन्द काबरा पुत्र नारायण लाल काबरा मैसर्स तिरूपति एण्ड कम्पनी हाउस नं. 3/224, सुखाडिया सर्किल, भीलवाडा पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया। विक्रेता ने बताया कि उक्त फर्म का मालिक वह स्वयं है।

मौके पर गवाह व विक्रेता की उपस्थिति में विक्रेता को 6136/—रू. नगद देकर पान मसाला (रजनीगन्धा) जांच हेतु खरीदा एवं रसीद प्राप्त की। गवाह व विक्रेता के सामने चार लेबल तैयार किये गये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एक्स– 1476 नाम, पता, वस्तु का नाम, नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक डाले गये। प्रत्येक नमूना भाग के लिए नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर गोंद से चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को खाकी कागज में लपेटकर, दोनों सिरों को मोड़कर, गोंद से चिपका कर, मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। नियमानुसार मौका फर्द तैयार कर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. एल.एस./49/एक्ट/2023/76 दिनांक 30.01.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, पान मसाला (रजनीगन्धा) निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण मिसब्राण्डेड होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा में पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद की मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि अरविन्द काबरा पुत्र नारायण लाल काबरा मैसर्स तिरूपति एण्ड कम्पनी हाउस नं. 3/224, सुखाडिया सर्किल, भीलवाडा द्वारा मिसब्राण्डेड पान मसाला (रजनीगन्धा) का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 08.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 09.10.2023 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी अधिवक्ता उपस्थित है।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना पान मसाला (रजनीगन्धा) मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने में पान मसाला (रजनीगन्धा) में The sample given positive test for " Mineral Oil" but mineral oil is not declared on the label of sample.Contravention of Regulation No. 5 (5) of food safety and standards (Labeling and display) regulations 2020. पाया गया। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा मिसब्राण्डेड पान मसाला (रजनीगन्धा) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी संख्या 01 से 03 स्थानीय रिटेलर हैं जो पैक माल खरीदकर पैक ही विक्रय करते हैं। इसमें विपक्षी संख्या 01 से लगायत 03 की कोई गलती नही हैं। अतः प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 3 को मुक्त रखा जावे। फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ में कोई मिलावट नही पायी गयी। मात्र मिनरल ऑयल नही लिखने मात्र से सैंपल मिसब्राण्ड नही हो सकता हैं। इसके स्थान पर अन्य खाद्य पदार्थ लिखे गये हैं, जिसमें कोई ग़लती नही हैं। निवेदन हैं कि विपक्षी के विरूद्व की जा रही कार्यवाही को समाप्त करने की कृपा करें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। **खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. एल.एस./49/एक्ट/2023/76 दिनांक 30.01.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, पान मसाला (रजनीगन्धा) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण मिसब्राण्डेड होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने में पान मसाला (रजनीगन्धा) में The sample given positive test for " Mineral Oil" but mineral oil is not declared on the label of sample.Contravention of Regulation No. 5 (5) of food safety and standards (Labeling and display) regulations 2020. पाया गया। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा मिसब्राण्डेड पान मसाला (रजनीगन्धा) विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।**

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षीगण द्वारा पान मसाला (रजनीगन्धा) का विक्रय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा मिसब्राण्डेड पान मसाला (रजनीगन्धा) का विक्रय किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन हैं एवं जिसका जुर्माना धारा 52 में वर्णित है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षीगणों को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षीगणों द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप विपक्षी संख्या 01 से 3 पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत 10,000/रूपये, एवं विपक्षी संख्या 04 पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत 30,000/रूपये, शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षीगण उपरोक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर जरिये चालान जमा करा, चालान प्रति पेश करें। निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006) भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

2 अरविन्द काबरा पुत्र नारायण लाल काबरा मैसर्स तिरूपति एण्ड कम्पनी हाउस नं. 3/224, सुखाडिया सर्किल, भीलवाडा

3 महेन्द्र कुमार तोदी पुत्र सुरेश कुमार तोदी मैसर्स तिरूपति एण्ड कम्पनी हाउस नं. 3/224, सुखाडिया सर्किल, भीलवाडा

4 मैसर्स तिरूपति एण्ड कम्पनी हाउस नं. 3/224, सुखाडिया सर्किल, भीलवाडा

5 मैसर्स धर्मपाल सत्यपाल लिमि. प्लॉट नं. बी – 1 एण्ड बी 27ए यूनिट 2 सैक्टर.3 नोयडा– 201301, उत्तरप्रदेश (09) को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006) भीलवाड़ा (राज.)